नागरिकता

- नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ ही कुछ अधिकार भी दिए है। इसलिए हम सबंद्ध राष्ट्र के आधार पर स्वंय को भारतीय, जापानी या जर्मन कहते हैं।
- अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान या आस्था की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने का अधिकार शामिल किए जाते हैं।
- नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते है उन्हें उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष आदि।
- नागरिकता में नागरिकों के आपसी संबंध भी शामिल हैं इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व सम्मिलित होते हैं।
- नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है।

संपूर्ण और समान सदस्यताः—

- इसका अभिप्राय है नागरिकों को देश में जहां चाहें रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार व अवसर मिलना तथा सभी अमीर—गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होना है।

प्रवासीः—

- काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर तथा देश से दूसरे देश की ओर की ओर जाते है, तब वे प्रवासी कहलाते है
- निर्धन प्रवासियों का अपने—अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार स्वागत नहीं होता जिस प्रकार कुशल और दौलतमंद प्रवासियों का होता है।
- प्रतिवाद (विरोध) का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है बशर्ते इससे दूसरें लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।

https://www.evidyarthi.in

प्रतिवाद के तरीके:–

- नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन कर के, मीडिया का इस्तेमाल कर, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है।
- समान अधिकारः शहरों में अधिक संख्या झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जें की भूमि पर बसे लोगों की हैं। ये लोग हमारे बहुत काम के है । इनके बिना एक दिन भी नहीं गुजारा जा सकता जैसे सफाईकर्मी, फेरीवाले, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले आदि।
- सरकार, स्वंय सेवी संगठन भी इन लोगों के प्रति जागरूक हो रहे है। सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिससे लाखों फुटपाथी दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार चलाने का बल प्राप्त हुआ।
- इसी प्रकार एक और वर्ग है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है वह है आदिवासी और वनवासी समूह। ये लोग अपने निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं
- नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ है नीतियाँ बनाते समय भिन्न–भिन्न लोगों की भिन्न–भिन्न जरूरतों का तथा दावों का ध्यान रखना।

नगारिक और राष्ट्र:–

- कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट कर सकता है। लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की इजाजत देता है। जैसे फ्रांस, जो यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं अपितु उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे क्षेत्रों से आए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करता है इसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं।
- राज्यकृत नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्ते प्रत्येक देश में पृथक होती है जैस इजराइल या जर्मनी में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है।
- भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अलग–अलग समुदायों, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया है।

https://www.evidyarthi.in

– नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के तीसरे खंड तथा संसद द्वारा तत्पश्चात पारित कानूनों से हुआ हैं।

राज्यकृत नागरिकता के तरीके

1) पंजीकरण

2) देशीकरण

3) वंश परंपरा

4) किसी भू क्षेत्र का राजक्षेत्र में मिलना

सार्वभौमिक नगारिकताः–

– हम यह मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश के निवासी है, वहां काम करते या जो नागरिकता के लिए आवदेन करते हैं किंतु नागरिकता देने की शर्ते सभी तय करते हैं। अवांछित नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतरण होता है।

विस्थापन के कारणः–

– युद्ध, अकाल, उत्पीड़न

शरणार्थी का अर्थः–

– विस्थापन के कारण जो लोग न तो घर लौट सकते है और न ही कोई देश उन्हें अपनाने को तैयार होता है तो वे राज्यविहीन या शरणार्थी कहलाते हैं

विश्व नागरिकताः–

– आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा है संचार के साधन, टेलिविजन या इंटरनेट ने हमारे संसार को समझने के ढंग में भारी परिवर्तन किया है। एशिया की सूनामी या बड़ी आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी भागों से उमड़ा भावोद्‌गार विश्व समाज की उभार को ओर इशारा करता है। इसी को विश्व नागरिकता कहा जाता है। यही 'विश्व ग्राम' व्यवस्था का आधार भी है।

विश्व नागरिकता से लाभः–

– इससे राष्ट्रीय समीओं के दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल होगा जिसमें बहुत देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होती है। इससे प्रवासी या राज्यविहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य निबटान करना आसान हो सकता है।

https://www.evidyarthi.in

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. नागरिकता से क्या अभिप्राय है?
2. राजनीतिक अधिकारों में किन अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है?
3. नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन हमारे संविधान के किस खंड में किया गया है?
4. शरणार्थी किन्हें कहा जाता है?
5. बाहरी लोगों से क्या अभिप्राय है?
6. 'मुंबई मुंबईकर के लिए' नारे का क्या अर्थ है?
7. संपूर्ण और समान सदस्यता से आपका क्या अभिप्राय है।
8. शहरी निर्धनों से क्या अभिप्राय है?
9. किसी भी नागरिक के लिए मतदाता सूची में शामिल होने की दो शर्तें कौन–सी हैं?
10. विश्व नागरिकता से क्या अभिप्राय है?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. एक नागरिक का दूसरे नागरिकों के प्रति क्या कर्त्तव्य है?
2. रंगभेद की नीति से क्या अभिप्राय है?
3. समान सदस्यता से क्या अभिप्राय है?
4. नागरिक किस प्रकार प्रतिवाद या विरोध कर सकते हैं?
5. आदिवासी तथा वनवासियों के क्या अधिकार हैं?
6. ''कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते है'' इस कथन का आशय स्पष्ट करें।
7. नागरिकता प्राप्त करने के दो तरीके बताइए।
8. नागरिकता खो जाने के दो कारण बताइए।
9. लोग विस्थापित क्यों होते है दो कारण बताइए।
10. भारत में विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन करें।

https://www.evidyarthi.in

चार अंकीय प्रश्नः—

1. एक नागरिक तथा विदेशी में क्या अंतर है?
2. एक अच्छे नागरिक में क्या—क्या गुण होने चाहिए। अपने विचार दें।
3. सार्वभौमिक नागरिकता से क्या अभिप्राय है? कुछ शरणार्थी लोगों के उदाहरण दीजिए।
4. विश्व नागरिकता आज एक आकर्षण बनी है। कैसे?
5. भारत में एक जातिगत तथा एक पर्यावरणीय आंदोलन का वर्णन करो।
6. शरणार्थियों को किन—किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
7. 'बाहरी तथा भीतरी' की समस्या का वर्णन करो।
8. आज विश्व एक विश्व ग्राम की भांति बदल रहा है? कैसे?
9. नागरिक और सामाजिक अधिकार क्या है?
10. शहरी गरीबों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पांच अंकीय प्रश्नः—

1. अनुच्छेद का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें:—

   ''नागरिकता के अधिकारों का प्रयोग कुछ लोगों के लिए स्वप्न मात्र होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं को अप्रवासियों का देश होने पर गोरवान्वित महसूस करता है। हालांकि प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बावजूद आज भी संसार में व्यापक स्तर पर देशांतर होता है।''

   (i) नागरिकता के अधिकार किन लोगों के लिए स्वप्न मात्र है।

   (ii) देशांतरण के दो कारण लिखो।

   (iii) क्या भारत में भी देशांतरण होता है? किन लोगों का देशांतरण होता है?

2. शहरी गरीबों की हालत के प्रति सरकार, स्वयं सेवी संगठन और दूसरी एजेंसियों सहित स्वंय झोपड़ियों के निवासियों में भी जागरूकता बढ़ी है?

   (i) शहरी गरीबों से क्या अभिप्राय है?

   (ii) शहरी गरीबों के लिए सरकार में क्या कदम उठाए है।

   (iii) स्वयं सेवी संगठन क्या होते है उदाहरण दीजिए।

evidyarthi
https://www.evidyarthi.in

छः अंक वाले प्रश्नः–

1. ''आज नागरिक को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वे उसके कड़े संघर्ष का परिणाम है'' । सिद्ध करो।
2. ''समान सदस्यता मिलने का अर्थ यह नहीं कि सभी उसका समान प्रयोग कर सकें'' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उचित दीजिए।
3. ''लोकतंत्र का यह बुनियादी सिद्धांत है कि विवादों का निदान बल प्रयोग की अपेक्षा संधि–वार्ता तथा विचार विमर्श से हो'' आपके अनुसार क्या यह तरीका विश्व नागरिकता को बढ़ावा देगा।
4. ''भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है'' कैसे।

evidyarthi
https://www.evidyarthi.in

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता जिसमें कोई भेदभाव न हो।
2. अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार
3. तीसरे खंड
4. युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित लोग।
5. जो लोग समाज और सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पातें।
6. इसका अर्थ है मुबंई में केवल मुंबई के ही लोग रहेंगे बाहर के नहीं।
7. नागरिकों के देश में जहां भी वे चाहें रहने, पढ़ने या काम करने का समान अधिकार एवं अवसर मिलना चाहिए।
8. झोपडियों और अवैध कब्जे की भूमि पर बसे लोग, जो अक्सर कम मजदूरी पर काम करते हैं।
9. (i) स्थाई निवास
   (ii) 18 वर्ष की आयु
10. जहां राष्ट्रीय सीमाएं न हो तब शरणार्थी समस्या नहीं होगी। समस्याओं के समाधान सबके समर्थन से होंगे।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वे दूसरें नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करें। रोजमर्रा के जीवन में उन्हें सम्मिलित होने और योगदान करने का दायित्व शामिल हैं
2. गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव दक्षिण अफ्रिका का उदाहरण।
3. राजसत्ता द्वारा सभी नागरिकों को चाहें वे धनी हो या निर्धन कुछ बुनियादी अधिकारों की गांरटी देना।
4. समूह बनाकर, प्रदर्शन, धरना, मीडिया का प्रयोग, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखना और प्रभावित करना।
5. उन्हें उनके जीवन निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के साथ रहने का अधिकार, अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार।

https://www.evidyarthi.in

6. छात्र इस प्रश्न का उत्तर अपने विवेक से दें।

7. राज्यकृत नागरिकता।

   (i) विवाह द्वारा

   (ii) नौकरी द्वारा

   (iii) आवेदन द्वारा

8. (i) देशद्रोही क्रियाकलाप द्वारा

   (ii) विवाह द्वारा

9. अकाल, बाढ़, युद्ध, सुनामी, महामारी जैसी समस्याओं से।

10. सरदार सरोवर बांध का वर्णन।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. नागरिक — देश के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है वह मतदान, चुनाव लड़ना, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

   विदेशी— विदेशी को ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं।

2. छात्र इस प्रश्न का उत्तर अपने विवेक से दें।

3. किसी देश की पूर्ण सदस्यता, सभी को उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतया उस देश में रहते है और काम करते हैं तथा जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। बांग्लादेशी आदि....।

4. क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन दिक्कतों का समाना करना, सरल हो सकता है जिसमें बहुत से देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होती है। विजय माल्या का उदहारण।

5. जातिगत आंदोलन — दलित पैथर्स

   पर्यावरणीय आंदोलन — चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओं आंदोलन

6. (i) कोई देश उन्हें स्वीकार नहीं करता।

   (ii) वे शिवरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने को विवश किए जाते है।

   (iii) वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते या

   (iv) संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते।

https://www.evidyarthi.in

7. भीतरी– जो समाज से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं और सरकार से नागरिकता के अधिकार।

बाहरी– जो समाज व राज्य से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते।

8. विश्व ग्राम– हम सब संचार के नए माध्यमों द्वारा जैसे टेलिविजन, इंटरनेट आदि से एक दूसरे से जुडाव अनुभव करते हैं आज विश्व के तमाम राष्ट्रों के लोगों में साझे सरोकर एवं भाईचारे की भावना का विकास हो रहा है।

9. नागरिक अधिकार– आस्था और स्वतंत्रता के अधिकार

सामाजिक अधिकार– न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा प्राप्त करने, किसी भी जगह घूमने फिरने की आजादी।

10. (i) 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई ताकि फुटपाथी दुकानदारों को पुलिस और नगर प्रशासकों का उत्पीड़न न झेलना पड़ा।

(ii) संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गांरटी दी गई है जिसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (क) नागरिकता के अधिकार उन लोगों के लिए स्वप्न मात्र है जो किसी देश में युद्ध, उत्पीड़न, सूनामी, महामारी आदि से प्रभावित होने पर देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है।

(ख) (i) युद्ध के कारण

(ii) अकाल, सूनामी, महामारी

(ग) भारत में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान आदि पड़ौसी देशों से देशांतरण होता है।

2. (क) शहरी गरीब वे लोग हैं जो झोपडपट्टियों में रहते है, फेरी वाले, सफाई कर्मचारी, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले इत्यादि।

(ख) सरकार ने कई कानून बनाए है जैसे सन् 2004 में पारित कानून जिसके द्वारा फुटपाथ पर काम करने वाले दुकानदारों को पुलिस और प्रशासन परेशान न करें।

(ग) स्वंय सेवी संगठन गैर सरकारी संगठन होते हैं जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए काम करते है और स्वयं को समाज में उजागर करते हैं।

https://www.evidyarthi.in

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (i) बहुत से यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति।

   (ii) एशिया अफ्रीका में भी समान नागरिकता की मांग, संघर्ष से ही प्राप्त की।

   (iii) दक्षिण अफ्रीका मे भी अश्वेत जनसंख्या को सत्तारूढ़ श्वेत अल्पसंख्यकों के विरूद्ध लम्बा संघर्ष किया।

2. अधिकांश समाजों में लोगों की योग्यताओं और सामर्थ्य के आधार पर संगठन पाया जाता है लोगों के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण तथा मौलिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की दृष्टि से अलग हो सकते है। यदि लोगों को समानता पर लाना है तो नीतियों का निर्धारण करते वक्त लोगों की भिन्न–भिन्न जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए।

3. हाँ, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी आवश्यक है इसके लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है अगला चरण सरकार का प्रतिवाद हो सकता है परन्तु शर्त है कि अन्य नागरिकों व सरकार के जीवन व संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। विरोध की प्रक्रिया धीमी हो सकती हे पर वार्ता द्वारा या संधि द्वारा समस्याओं के समाधान किए जा सकते है।

4. स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में संबंद्ध होकर प्रयत्न करने पड़ें। भारत में विभाजन को रोका तो नहीं जा सका परंतु स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कामय रखा गया। यह निश्चय संविधान में शामिल किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया गया है।

https://www.evidyarthi.in